

ए.11018/40/2015—एम.एच./एन.सी.डी.

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी—१

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 3 जून, 2021

जनसूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई—मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011—2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख:

2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहाँ तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई, लेखाकार (समूह 'ख' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1977 को, जहाँ तक उसका संबंध लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता: वह व्यक्ति-**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;**उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :**

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छोट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छोट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैशिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महायक प्रशासनिक अधिकारी	02'(दो) (2021)	माधारण केन्द्रीय सेवा, ममृह 'ब्र', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपा)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले ३ यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे व्यक्तियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति: प्रवर व्येणी लिपिक जिन्होंने स्तर 4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्तर 4 में प्रवर व्येणी लिपिक और स्तर 2 में अवर व्येणी लिपिक के रूप में संयुक्त रूप में 18 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने स्तर-4 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, और जिनके गाम निम्नलिखित शैक्षिक अहताएं और अनुभव होः (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री।</p>	विभागीय प्रोन्नति समिति: (1) अगर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - अध्यक्ष; (2) उन निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; (3) परामर्शदाता (आर्थोपेडिक्स), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; (4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यालयक चयन ग्रेड), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(ए.11018/18/2015-एमएन II)

अवर सचिव, भारत सरकार